स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 165, दिनांक 03–06–2024

पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यो में रजिस्टशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वालें गैंग के 02 सदस्य जनपद आगरा से गिरफ्तार।

दिनांकः 02–06–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को जनपद आगरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण :–

1– बीकेन्द्र तोमर पुत्र गोपाल सिंह निवासी गांव बरौली गुर्जर, थाना डॉकी, जनपद आगरा।

2– देवेन्द्र सिंह उर्फ प्रेम पुत्र तुलाराम निवासी खेड़ा सिकरौदा नीमखेड़ा, थाना कंचनपुर धौलपुर, राजस्थान। हाल पता नगला बेरासाल इटोला, थाना मलपुरा, जनपद आगरा।

बरामदगी–

1. 10 अदद कूटरचित डेस बोर्ड
2. 08 अदद कूटरचित इंजन प्लेट
3. 05 अदद मोबाइल फोन
4. 03 अदद एटीएम कार्ड
5. 02 अदद आधार कार्ड
6. 01 अदद डी0एल0
7. नगद 970 रूपये।
8. 03 अदद फर्जी रजिस्टर्ड ट्रक न0 क्रमश–आरजे0–11 जीबी 9884, आरजे0–11 जीसी 0136, आरजे0–46 जीए 4970।
9. 01 अदद स्विफ्ट कार यू0पी0 80 जीएल 5256

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

दिनांकः 02–06–2024, स्थान ट्रांसपोर्टनगर चौकी के पास, थाना हरिपर्वत, कमिश्नरेट आगरा समय रात्रि करीब 23.45 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यो में रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वाले गैंग के द्वारा अपराध कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 02–06–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यो में रजिस्ट्रेशन कराकर

उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के सामने मैदान में किसी काम से मौजूद हैं। इस सूचना पर निरीक्षक हुकुम सिंह, उ0नि0 धूम सिंह, मु0आरक्षीगण विवेक कुमार, कृष्णवीर सिंह, दिनेश चौधरी, बल्देव सिंह, प्रदीप यादव, आरक्षीगण हरपाल, प्रदीप चौधरी व आ0चालक बृजकिशोर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा की टीम गठित कर स्थानीय पुलिस थाना हरिपर्वत जनपद आगरा को अवगत कराते हुए साथ लेकर आवश्यक घेराबन्दी कर उपरोक्त गैग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 03 अदद फर्जी रजिस्ट्रेशन लगे ट्रक न0 क्रमश–आरजे0–11–जीबी 9884, आरजे0–11–जीसी 0136, आरजे0–46–जीए–4970 व अन्य उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी मुकेश व कुमरसेन नागालैण्ड व मणिपुर से फर्जी एनओसी प्राप्त कर अलग–अलग प्रान्तों के जिलो के आर0टी0ओ0 में दाखिल कर फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त गाड़ी पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज से अलग–अलग बैंको से लोन लेकर उनमें सं कुछ गाड़ियो को विक्रय कर देते हैं व कुछ गाड़ियो पर पुन. कूटरचित चेसिस/इंजन न0 डालकर व पुनः एन0ओ0सी0 दाखिल कर लोन लेकर ठगी करते हैं। उक्त एन0ओ0सी0 व कूटरचित चेसिस/इंजन नम्बर की प्लेट व रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में मुकेश व कुमरसेन प्रत्येक गाड़ी में एवज 05–06 लाख रू0 लेते हैं। यह भी बताया कि उक्त फर्जी कार्य धौलपुर, राजस्थान के आर0टी0ओ0 से मिलीभगत से कराते हैं, जिसके बारे में मुकेश व कुमरसेन ही जानते हं। हमारे साथी महेश के द्वारा कई वाहनो से फर्जी तरीके के लोन कराया है व जाहिद द्वारा वाहनो के फर्जी तरीके कटवाने का कार्य किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तो कें विरूद्व थाना हरिपर्वत, जनपद आगरा में मु0अ0स0 229/2024 धारा 406/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>विकेन्द्र का ज्ञात अपराधिक इतिहास</u>

क्रस0	अ0स0/धारा	थाना	जनपद
1	0651/2023 धारा 419/420 /467/468/471/411/34 भादवि	एत्माददौला	आगरा